

वभिन्न राज्यों के लिये मनरेगा मज़दूरी दरें संशोधित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) के तहत मज़दूरी को संशोधित किया गया है, जिसमें वभिन्न राज्यों के लिये 4 से 10% के बीच बढ़ोतरी की गई है।

मुख्य बंदि:

- इस योजना के तहत अकुशल शरमकों के लिये हरथिणा में सबसे अधकि मज़दूरी दर 374 रुपए प्रतदिनि है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में सबसे कम 234 रुपए है।
- इस योजना के तहत वर्ष 2023 मज़दूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरकि कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक वतितीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)

- **परचिय:** मनरेगा वशिव के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- **लॉन्च:**
 - इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था
 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम 23 अगस्त 2005 को पारति किया गया था।
- **उद्देश्य:**
 - योजना का प्राथमकि उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनकि कार्य से संबंघति अकुशल शारीरकि कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वतितीय वर्ष में **100 दिनों के रोज़गार** की गारंटी देना है।
- **कार्य का कानूनी अधकिार:**
 - पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के वपिरीत मनरेगा का उद्देश्य अधकिार-आधारति ढाँचे के माध्यम से चरम नरिधनता के कारणों का समाधान करना है।
 - लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तहिाई महलियाँ होनी चाहयि।
 - **मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधनियिम, 1948** के तहत राज्य में कृषि मज़दूरों के लिये नरिदषिट वैधानकि न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप किया जाना चाहयि।
- **मांग-पररति योजना:**
 - मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थति गारंटी प्राप्त है, जिसमें वफिल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान किया जाता है।
 - यह मांग-पररति योजना शरमकों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है।
- **वकिंद्रीकृत योजना:**
 - इन कार्यों के योजना नरिमाण और कार्यानवयन में **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)** को महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ सौंपकर वकिंद्रीकरण की प्रक्रयिा को सशक्त करने पर बल दिया गया है।
 - अधनियिम में आरंभ कयि जाने वाले कार्यों की सफिराशि करने का अधकिार **ग्राम सभाओं** को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही नषिपादति किया जाता है।

